प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या — 01/2019 आर.टी.आई.
दायर दिनांक — 27.08.2019
निर्णय दिनांक — 17.09.2019

श्री नरेश तलदार, तलदार पैलेस, बांसवाड़ा	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

श्री नरेश तलदार, तलदार पैलेस, बांसवाड़ा ने सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 19.08.2019 (दिनांक 21.08.2019 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 4847—18 दिनांक 28.08.2019 से श्री नरेश तलदार द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति—उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 30.08.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री नरेश तलदार द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2019 से चाही गयी सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 4268 दिनांक 29.07.2019 से वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 5125 दिनांक 11.09.2019 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2019 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीताराम भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

क्रमांक - 5266-67 दिनांक - 17/09/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01– लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02– श्री नरेश तलदार, तलदार पैलेस, बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर